

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

टेलीफैक्स:- 0141-2222403, ई-मेल:-dlbrajasthan@gmail.com वेब साइट:-www.lsg.urban.rajasthan.gov.in
क्रमांक :- एफ 55()Engg./CE/DLB/19/42935-43128 दिनांक :- 26/7/19

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद्/पालिका,
समस्त।

विषय:- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा लांच "स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल फॉर गारबेज फ्री सिटीज" के संबंध में।

प्रसंग:- भारत सरकार द्वारा जारी D. O. Letter 15/08/2018-SBM-1 दिनांक 28.06.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा कचरा मुक्त शहरों के लिए स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल जनवरी, 2018 में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शुरू किया था जिसके माध्यम से शहरों को कचरा मुक्त बनने हेतु प्रेरित किया जा सके। उक्त प्रोटोकॉल को निकायों से मिलने वाले फीडबैक को ध्यान में रखते हुये संशोधित किया गया है। जिसकी प्रति संलग्न है। पूर्व में आपके जरिये मेल उक्त प्रोटोकॉल दिनांक 04.07.2019 को भिजवाया जा चुका है।

अतः भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित "स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल फॉर गारबेज फ्री सिटीज" प्रोटोकॉल की पालना कर स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत आप अपने शहर को 3 स्टार रेटिंग घोषित कर भारत सरकार से प्रमाणीकरण की कार्यवाही करवावें।

संलग्न:- संशोधित "स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल फॉर गारबेज फ्री सिटीज" की प्रति।

(उज्ज्वल राठौड़)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव


दिनांक :- 26/7/19

क्रमांक :- एफ 55()Engg./CE/DLB/19/43129-43178

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

2. संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक(SBM) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय निर्माण भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. सदस्य सचिव, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर।
6. जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।
7. मुख्य अभियंता, निदेशालय।
8. क्षेत्रीय उपनिदेशक (समस्त), राजस्थान।
9. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय।
10. प्रोग्रामर, वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. सुरक्षित पत्रावली।


(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता